उत्तर प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग
संख्या-701/तीन-2019-39(2)/12टीसी
लखनऊ: दिनांक: 19 नवम्बर, 2019

<u>विज्ञप्ति</u>

सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या-846/तीन-2018-39(2)/2016 दिनाॅक 27-11-2018 द्वारा वर्ष 2019 हेतु कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत प्रस्तर-05 में घोषित अवकाशों में दिनाॅक 24-11-2019 को गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है।

2- इस संबंध में शासन में ऐतिहासिक गुरूद्वारा, श्री गुरू तेग बहादुर साहिब जी, सिंघा वाली गली, यहियागंज, लखनऊ से प्राप्त प्रत्यावेदन/संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस के अवसर पर दिनाॅक 24-11-2019 के स्थान पर दिनाॅक 01-12-2019 को कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

3- उक्त अवकाश शासन एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों, जहाॅ पाॅच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है, को छोड़कर जहाॅ 06 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है, वहाॅ लागू होगा, अर्थात ऐसे कार्यालय जहाॅ 06 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है वहाॅ दिनांक 24-11-2019 को कार्यालय सामान्य कार्य दिवसों की भाॅति खुले रहेंगे एवं दिनांक 01-12-2019 को अवकाश रहेगा।

3- उक्त विज्ञप्ति दिनाॅक 27-11-2018 इस सीमा तक संशोधित समझी जाए।

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/उ0प्र0।
4- प्रमुख सचिव विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0
5- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ को सूचनार्थ एवं ऐसी कार्यवाही हेतु प्रेषित जिसे मा0 उच्च न्यायालय आवश्यक समझे।
6- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7- महालेखाकार, उ0प्र इलाहाबाद।
8- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3 (अधि0) उत्तर प्रदेश शासन।
9- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
11- उप सचिव एवं संयुक्त निदेशक, प्रकाशन उत्तर प्रदेश शासन
12- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त विज्ञप्ति से अपने मण्डल के अन्तर्गत समस्त जिलाधिकारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
13- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
14- कुलपति, डा0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

15- तकनीकी निदेशक, नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर (उत्तर प्रदेश राज्य इकाई) योजना भवन, लखनऊ को सामान्य प्रशासन विभाग की बेबसाईट पर डालने हेतु।

16- क्षेत्रीय निदेशक, उ0प्र0 एव उत्तरांचल, भारतीय रिजर्व बैक गोमतीनगर, लखनऊ।

आज्ञा से,

भैरव नाथ शुक्ल

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।